

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 12.09.2025

**मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में
01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ठेला बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा के नेतृत्व में 30 नि० सौरभ झाँ मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 469/2025 धारा 115(2), 352, 351(2), 351(3), 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अरविन्द को चोरी के ठेला के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी घर पर चढ़कर गाली गुफ्ता दिया गया व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी तथा चोरी से वादी का ठेला उठा ले गये जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 469/2025 धारा 115(2), 352, 351(2), 351(3), 303(2), 317 (2) बीएनएस

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविंद पुत्र स्व० भुसी प्रसाद निवासी भटौली बुजुर्ग थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

बरामदगी-

एक अदद ठेला

गिरफ्तार की टीम -

1. 30 नि० सौरभ झाँ थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. कां० आजाद अली थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. कां० सुनील कन्नौजिया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर